

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,  
झारखण्ड।

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

विषय :- मुख्यशीर्ष-2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-02-विधि व्यवस्था पर व्यय-03-प्रशासनिक व्यय-21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला के अन्तर्गत विधि व्यवस्था के संधारण हेतु रु० 2,15,00,000/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रु० 2,15,00,000/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नानुसार आवंटित की जाती है :-

| क्र०   | जिला का नाम      | पूर्व आवंटित राशि | आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि | अभ्युक्ति              |
|--------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.     | देवघर            | 2,00,00,000/-     | 15,00,000/-                | पत्रांक-785/18.02.2024 |
| 2.     | दुमका            | 80,00,000/-       | 15,00,000/-                | पत्रांक-68/24.01.2024  |
| 3.     | पाकुड़           | -                 | 4,00,000/-                 | -                      |
| 4.     | गोड्डा           | 5,00,000/-        | 20,00,000/-                | पत्रांक-31/20.01.2024  |
| 5.     | साहेबगंज         | 5,00,000/-        | 4,00,000/-                 | -                      |
| 6.     | जामताड़ा         | 5,00,000/-        | 4,00,000/-                 | -                      |
| 7.     | राँची            | 70,00,000/-       | 20,00,000/-                | पत्रांक-153/20.02.2024 |
| 8.     | खूँटी            | 35,00,000/-       | 5,00,000/-                 | पत्रांक-17/11.01.2024  |
| 9.     | लोहरदगा          | -                 | 4,00,000/-                 | -                      |
| 10.    | रामगढ़           | 20,00,000/-       | 10,00,000/-                | पत्रांक-689/15.12.2023 |
| 11.    | बोकारो           | 20,00,000/-       | 15,00,000/-                | पत्रांक-27/16.01.2024  |
| 12.    | हजारीबाग         | 25,00,000/-       | 20,00,000/-                | पत्रांक-21/10.01.2024  |
| 13.    | कोडरमा           | 10,00,000/-       | 5,00,000/-                 | पत्रांक-357/04.11.2023 |
| 14.    | पलामू            | -                 | 4,00,000/-                 | पत्रांक-39/10.01.2024  |
| 15.    | गढ़वा            | -                 | 4,00,000/-                 | -                      |
| 16.    | लातेहार          | 10,00,000/-       | 4,00,000/-                 | -                      |
| 17.    | चतरा             | -                 | 4,00,000/-                 | पत्रांक-74/30.01.2024  |
| 18.    | जमशेदपुर         | 20,00,000/-       | 5,00,000/-                 | -                      |
| 19.    | चाईबासा          | 20,00,000/-       | 15,00,000/-                | पत्रांक-19/04.03.2024  |
| 20.    | सिमडेगा          | 10,00,000/-       | 5,00,000/-                 | पत्रांक-25/13.01.2024  |
| 21.    | धनबाद            | 45,00,000/-       | 15,00,000/-                | पत्रांक-291/01.12.2023 |
| 22.    | सरायकेला-खरसावाँ | 5,00,000/-        | 10,00,000/-                | -                      |
| 23.    | गुमला            | -                 | 4,00,000/-                 | -                      |
| 24.    | गिरिडीह          | -                 | 4,00,000/-                 | -                      |
| कुल :- |                  | 5,85,00,000/-     | 2,15,00,000/-              |                        |

(दो करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र

क०पृ०उ०

2. राशि का उपयोग सेमिनार/समारोह/कार्यशाला के अंतर्गत विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित कार्यों के संतुष्टि के पश्चात् विपत्रों के भुगतान के लिए किया जाएगा।
3. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थापना व्यय के बजट शीर्ष "2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-02-विधि व्यवस्था पर व्यय-03-प्रशासनिक व्यय-21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला" विपत्र कोड-22S20550000102000321 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त, झारखण्ड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, झारखण्ड से की जाएगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।
7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय महालेखाकार, झारखण्ड एवं विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
9. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

विश्वासभाजन,


ह०/-

(अरवा राजकमल)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 04/विविध (वि०व्य०)-513/2023 .....172...../

राँची, दिनांक- 12/03 /2024 ई०।

प्रतिलिपि - प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 4/V(L&O)-513/23/177

दिनांक - 12-Mar-2024

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि                      |
|---------|--|----------|--|----------------------------------|
| 1       | S 22 20550000102000321<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>02 - विधि व्यवस्था पर व्यय<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 92879    | DGRDADB06<br>SAILESH KUMAR SINGH<br>NDC, DEOGHAR<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला                          | 1,500,000.00<br>रुपये पंद्रह लाख |
| 2       | S 22 20550000102000321<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>02 - विधि व्यवस्था पर व्यय<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 92882    | DMKDDAD105<br>ANJANEYULU DODDE<br>DEPUTY COMMISSIONER<br>DUMKA<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला            | 1,500,000.00<br>रुपये पंद्रह लाख |
| 3       | S 22 20550000102000321<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>02 - विधि व्यवस्था पर व्यय<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 92885    | PKRDADA07<br>MRITYUNJAY KUMAR<br>BARANWAL<br>DEPUTY COMMISSIONER<br>PAKUR<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला | 400,000.00<br>रुपये चार लाख      |

योग: रुपये चौतीस लाख

3,400,000.00

क्रमिक योग:


(ARAVA RAJKAMAL)  
SECRETARY

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि                   |
|---------|--|-----------|--|-------------------------------|
| 4       | S 22 20550000102000321<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>02 - विधि व्यवस्था पर व्यय<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 92889     | GDDDAD020<br>ZEESHAN QAMER<br>DY. COMMISSIONER,<br>GODDA<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला  | 2,000,000.00<br>रुपये बीस लाख |
| 5       | S 22 20550000102000321<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>02 - विधि व्यवस्था पर व्यय<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 92893     | SBJDAD001<br>HEMANT SATI<br>DY. COMMISSIONER<br>SAHIBGANJ<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला | 400,000.00<br>रुपये चार लाख   |
| 6       | S 22 20550000102000321<br>2055 - पुलिस<br>00 - पुलिस<br>001 - निदेशन और प्रशासन<br>02 - विधि व्यवस्था पर व्यय<br>00-NA<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>Establishment Expenditure<br>State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA | 92897     | JMTDAD008<br>ABISHWAR MURMU<br>N. D. C. JAMTARA<br>21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला           | 400,000.00<br>रुपये चार लाख   |

योग: रुपये बासठ लाख  
क्रमिक योग:

2,800,000.00

6,200,000.00

  
(ARAVA RAJKAMAL)  
SECRETARY

